

1. श्री नारायण पुत्र श्री लादू गिरी जी जाति गुसाई उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

-----प्रार्थी

ब न अ म

1. श्री किशन पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र जी जाट जाति जाट उम्र बालिग निवासी बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)।
2. देबी गिरी पुत्र श्री श्रीराम गिरी जाति गुसाई उम्र बालिग निवासी श्रीराम मंदिर के पीछे, महेश स्कूल के पास, गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर (राज0)

-----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम



आदेश

दिनांक: 05.11.2020

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम-बरल द्वितीय पटवार क्षेत्र बरल द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खसरा संख्या 1432 रकबा 0.2346 है0, 1433 रकबा 0.0080 है0, 1434 रकबा 0.2346 है0, 1551/1361 रकबा 0.0485 है0, 1553/1361 रकबा 0.0202 है0, भूमियां प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम-बरल द्वितीय पटवार क्षेत्र बरल द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खसरा संख्या 1432 रकबा 0.2346 है0, 1433  0.0080 है0, 1434 रकबा 0.2346 है0, 1551/1361 रकबा 0.0485 है0, 1553/  रकबा 0.0202 है0, भूमियां प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

.....लगातार



(मोहनलाल खटनायलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मंसूदा (अजमेर) राज.

(2)
श्री नारायण बनाम श्रीकिशन व अन्य
प्रकरण संख्या 14/2020

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप-चौप पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एवं विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम ग्राम-बरल द्वितीय पटवार क्षेत्र बरल द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खसरान संख्या 1432 रकबा 0.2346 है0, 1433 रकबा 0.0080 है0, 1434 रकबा 0.2346 है0, 1551/1361 रकबा 0.0485 है0, 1553/1361 रकबा 0.0202 है0, भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज.